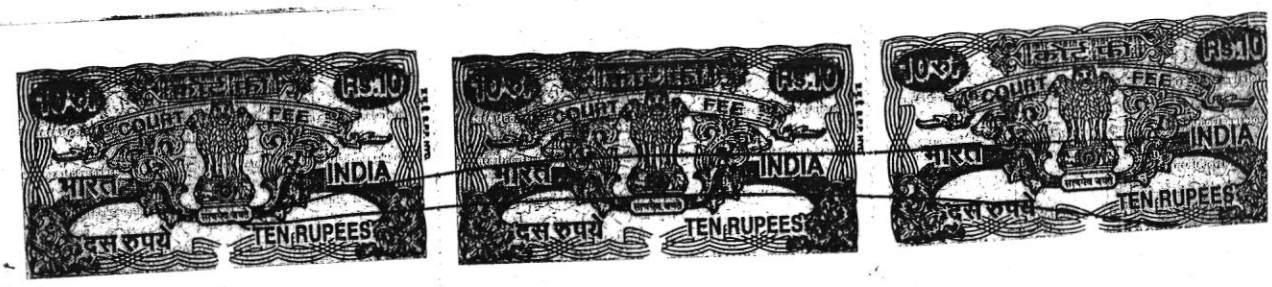

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक / 2017 निगरानी R 902-I-17

हरि सिंह पुत्र श्री हीरा अहिरवार आयु.... 50 वर्ष , व्यवसाय कोटवारी , निवासी ग्राम भाऊखेडी तहसील सिरोंज जिला विदिशा म.प्र.

...... आवेदक

श्री ... द्वारा आज दि. 15-3-2017 प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

म.प्र. शासन द्वारा नायब तहसीलदार (मण्डल 05) सिरोंज जिला विदिशा म.प्र.

...... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50(1) म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय नायब तहसीलदार (मण्डल –5) सिरोंज म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/ए–56 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 28.01.2017 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत है ।

माननीय न्यायालय ,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

1. यहकि, आवेदक सन् 2008 से ग्राम भाऊखेडी तहसील सिरोंज में चौकीदार (कोटवार) का कार्य करता आ रहा है आवेदक के पूर्व आवेदक के पिता हीरा अहिरवार लगभग 50 वर्षो से ग्राम भाऊखेडी के चौकीदार थे तथा कोटिवार का कार्य लगन ईमानदारी, मेहनत से कार्य कर रहा था। आवेदके पिता वृद्ध हो जाने के कारण अनावेदक द्वारा ग्राम का चौकीदार बनाया गया है।

15/3/2017

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 902–एक/17 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/01/18	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी नायब तहसीलदार, सिंरोज जिला विदिशा के प्रकरण कमांक 3/अ–56/16–17 में पारित आदेश दिनांक 28–1–17 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्रामवासी ग्राम भाऊखेड़ी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम चौकीदार आवेदक हरीसिंह के विरूद्ध शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया गया । उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर नायब तहसीलदार ने हल्का पटवारी को जांच रिर्पोट पेश करने के निर्देश दिए । पंचनामा प्राप्त होने पर नायब तहसीलदार ने आलोच्य आदेश द्वारा उभयपक्षों को सुनने के उपरांत आवेदक का जबाव संतोषजनक नहीं पाए जाने पर पर आवेदक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई है । 3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गये हैं शिकायत के आधार पर प्रारंभ की गई कार्यवाही में आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर नहीं दिया गया है । शिकायत की जांच वरिष्ठ अधिकारी से कराया जाना चाहिए था जो नहीं कराई गई है । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 230 के नियमों का पालन नहीं किया गया धारा 230 के अंतर्गत कोटवार की नियुक्ति व हटाने की प्रकिया दी गई है, अधीनस्थ न्यायालय को उसी के अनुसार कार्यवाही करना चाहिए था जो नहीं की गई है । उक्त आधार पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया ।	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को कोटवार के पद से निलंबित किया गया है, अभी कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया है, आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध है अतः निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक कोटवार के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर हल्का पटवारी से जांच रिर्पोट ली गई है तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्राप्त किया गया है अनावेदक से भी जबाव प्राप्त किया गया है । जांच रिर्पोट एवं ग्राम पंचायत के प्रतिवेदन में आवेदक/कोटवार को शासकीय कार्य में लापरवाही करना पाए जाने के कारण उसे निलंबित किए जाने के आदेश दिए हैं । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में प्रथमदृष्टया कोई अवैधता प्रतीत नहीं होती है । आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध है । दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

उभयपक्ष सूचित हों । अभिलेख वापिस किए जायें ।

प्रशा0 सदस्य